राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4301/2025

श्रीमती कृष्णा माली

–अपीलार्थी

बनाम

सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.09.2025
सुनवाई की दिनांक : 03.10.2025
आदेश की दिनांक : 03.10.2025
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर गुप्ता, अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, (अध्यक्ष)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की नियुक्ति राज्य सरकार के आदेशानुसार अध्यापक के पद पर वर्ष 2012 राजसमन्द जिले में हुई थी। उसके पश्चात प्रा० विद्यालय अपीलार्थी का पदस्थापन रा० उच्च खमनोर जिला राजसमन्दर में हो गया। अपीलार्थी की पारिवारिक परिस्थिति एवं पति के केन्सर जैसी गम्भीर बीमारी से पीड़ित होने के आधार पर अपीलार्थी ने अपना स्थानान्तरण अपने गृह जिला चित्तोडगढ में कराने हेतु प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। अपीलार्थी की पारिवारिक परिस्थिति तथा पति का केन्सर जैसी गंभीर बीमारी के आधार पर स्थानान्तरण रा०उच्च प्रा० विद्यालय लालजी का खेड़ा जिला चित्तोढगढ़ में कर दिया उक्त स्थानान्तरण आदेश वर्ष 2017 में हुआ। उक्त स्थानान्तरण करते वक्त यह शर्ते निर्धारित की गई कि वह अपनी वर्ष 2012 से वर्ष 2017 तक की वरिष्ठता खत्म होगी और वरिष्ठता की मांग नहीं करेगी अपीलार्थी ने उक्त शर्तों की पालना में अपना कार्यग्रहण रा०उच्च प्रा० विद्यालय लालजी का खेडा जिला चित्तोडगढ में कार्यग्रहण कर लिया। कार्यालय पीईईओ एवं प्रधानाचार्य महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय ओछडी द्वारा दिनांक 2–7–2025 को आदेश जारी किया जिसमें अंकित किया कि कार्मिकों को उनके द्वारा एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 1–7–2025 से वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाती है उक्त सूची में अपीलार्थीया का नाम कम संख्या 4 पर अंकित है। (अनुलग्नक–1) प्रत्यर्थी विभाग निदेशक माध्यमक शिक्षा बीकानेर द्वारा राजस्थान आदेश दिनांक 30–6–2025 को एक आदेश जारी किया, जिसमें अंकित किया कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में

राजस्थान सिविल सेवा (अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कार्मिको की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्त) नियम 2023 के तहत विभागीय कार्मिकों के चयन एवं पदस्थापन के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देश) नियम 2023 के नियम 10 में व नियम 11 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में अंग्रेजी माध्यम के लिए दिनांक विद्यालयों हेतु 25–8–2024 को आथोपित लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अध्यापक लेवल द्वितीय (विभिन्न विषय) को उनके द्वारा दिए गये विकल्प व उनकी मेरीट के अनुसार जिला व ओन लाईन काउसलिंग के अनुसार विद्यालय आवंटित करते हुए सूचियों प्रेषित की गई अध्यापक लेवल द्वितीय (विभिन्न विषय की सूचियाँ उपर्युक्त संदर्भित नियम 2023 के नियम 9 (ग) में उल्लेखित अनुसार गणित जिला स्तरीय चयन समिति के सम्मुख निर्देशानुसार विचारांपरन्त चयन आदेश जारी कर पदस्थापन की कार्यवाही की गई इस प्रकार अपीलार्थी का चयन किया जाकर अपीलार्थी का पदस्थापन आदेश दिनांक 30–6–2025 के द्वारा अध्यापक लेवल 2 विषय गणित विज्ञान के आधार पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय माताजी का पाण्डॉली जिला चित्तोडगढ में कर दिया। (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी ने चयन के समय जब काउसलिंग में उपस्थिति थी। प्रार्थीया ने काउसलिंग में अपनी पारिवारिक परिस्थिति के आधार पर अपना पदस्थापन (महात्मा गांधी राजकिय विद्यालय सैती) में चाहा परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त विद्यालय नहीं दिया। अपीलार्थी को जो विद्यालय प्राप्त हुआ उसी में कार्यग्रहण कर लिया। अपीलार्थी द्वारा निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की दिनांक 23–7–2025 को भिजवाया उक्त अभ्यावेदन प्राप्त हो जाने के पश्चात भी अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं किया। (अनुलग्नक–3) अपीलार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र पर प्रधानाचार्य महात्मा गांधी विद्यालय माताजी की पान्डोली जिला चित्तोडगढ द्वारा चयन निरस्त हो जाता है तो उक्त विद्यालय को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त दिनांक आपत्ति के सम्बन्ध में पत्र दिनांक 23–7–2025 को निदेशक को भेजा गया। (अनुलग्नक–4)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी की पारिवाहिरक परिस्थिति को देखते हुए अपीलार्थी का चयन निरस्त करते हुए वापिस पूर्व पदस्थापित विद्यालय रा०उच्च प्रा० विद्यालय लालजी का खेड़ा जिला चित्तोडगढ में करने के आदेश प्रदान किए जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह

अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष